उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 17/2015–16

कमल मरीक ..... आवेदक

बनाम

गोकुली मरीक एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

02/04/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 17/2015–16 कमल मरीक बनाम् गोकुली मरीक एवं अन्य, मौजा ठाड़ी खरवा, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0– 241/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कमारडीहा के दाग सं0 121 कुल रकवा 02–03–10 धूर जमींन गत सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है। आवेदक ने मौजा के प्रधान से 9 बैशाख 1355 में पट्टा द्वारा 10 कठ्ठा जमींन बन्दोबस्ती प्राप्त किया है। उनके द्वारा उक्त दाग को धानी–। में खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है तथा लगान का भी भुगतान किया जा रहा है। उनके द्वारा उक्त बन्दोबस्ती जमींन का सीमांकन हेतु निम्न न्यायालय में रे0मि0 वाद सं0 241/12–13 दाखिल किया गया जिसमें अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। इसी बीच विपक्षी द्वारा आपत्ति दायर करते हुए हेरा–फेरी (Tamered Patta with over writing) किया हुआ पट्टा के आधार पर 01–00–00धूर (एक बीघा) जमींन पर दावा किया गया है। जबकि कर्मचारी एवं अमींन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी सं0 01 गोकुली मरीक का 28 डीसमल जमींन पर दखल है एवं अपीलकर्त्ता को 12 डीसमल जमींन पर दखल है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया है कि विपक्षी द्वारा उक्त जमींन का बदलैन किया जा चुका है एवं उपायुक्त न्यायालय में भी इसे बरकरार रखा गया है। आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि बदलैन को रद्द करने हेतु रिविजन मामला दायर किया। जिसे उपायुक्त द्वारा रद्द किया गया है। वर्त्तमान में यह मामला माननीय आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। आवेदक का दावा गलत है क्योंकि वह 1958 में प्राप्त 22 डीसमल जमींन का सम्पुष्टि हेतु 2013 में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मामला दायर किया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के साथ कर्मचारी एवं अमींन का प्रतिवेदन का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 12.09.2014 में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अनुसार उल्लेख है कि उक्त दाग में दुखन मंडल वगैरह का 42 डीसमल, कमल मरीक का 12 डीसमल, सुखलाल मरांडी का 16 डीसमल एवं गोकुली मरीक का 28 डीसमल जमींन पर दखल है। इस प्रतिवेदन में आपत्ति किये जाने पर पुनः अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसमें अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के साथ प्रेषित अंचल अमींन का प्रतिवेदन में उल्लेख है कि प्रश्नगत जमींन का कुल रकवा 1.00 (एक) एकड़ है। 44 डीसमल के अलावे शेष जमींन पर बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी जा सकती है। चुँकि प्रतिवेदन में 44 डीसमल जमींन गोकुली मरीक के नाम से पूर्व में प्रधान द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा निर्गत किये जाने का जिक्र है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2014 एवं अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन पत्रांक 133/रा0 दिनांक 12.02.2015 में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में इस पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है कि वास्तव में प्रश्नगत जमींन पर किन–किन व्यक्तियों का दखल है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदक के दावों पर विचार किया जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।